बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

श्री विजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी के विरूद्ध मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अन्तर्गत जिला के लाभुकों के परियोजना स्थल एवं जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी का औचक निरीक्षण दिनांक–13.07.2023 को किये जाने के क्रम में 30 स्थल निरीक्षणों में से 19 स्थल निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने तथा लाभुको कों प्रथम/द्वितीय किश्त के रूप में भुगतेय राशि के उपयोगिता का समुचित जाँच पड़ताल एवं स्थल निरीक्षण किये बगैर ही अगली किस्त का भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय के पत्रांक–2202 दिनांक 01.08.2023 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी से एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गयी जो उनके द्वारा दिनांक 14.08.2023 तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्थल निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5089 दिनांक 30.08.2023 द्वारा श्री लाल को निलंबित करते हुए मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

श्री लाल के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–5097 दिनांक 30.08.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा दिनांक 19.09.2023 को बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। श्री लाल द्वारा प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरांत लिखित अभिकथन असंतोषजनक पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

तदआलोक में विभागीय संकल्प सं0–6591 दिनांक 16.11.2023 द्वारा श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1604 दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री लाल से विभागीय पत्रांक–3182 दिनांक 15.07.2025, पत्रांक–3519 दिनांक 30.07.2025, पत्रांक–3927 दिनांक 22.08.2025, पत्रांक–4364 दिनांक 18.09.2025 एवं पत्रांक–5059 दिनांक 12.11.2025 द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

तदआलोक में श्री लाल द्वारा दिनांक 25.11.2025 को जाँच प्रतिवेदन पर अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–5709 दिनांक 23.12.2025 द्वारा श्री लाल को 10(दस) प्रतिशत पेंशन 05(पाँच) वर्षों के लिए कटौती करने का निर्णय लिया गया।

श्री बिजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध "**बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत उनके 10(दस) प्रतिशत पेंशन की राशि 05(पाँच) वर्षों के लिए अवरूद्ध करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव**" संसूचित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के उपरांत विभागीय पत्रांक–5711 दिनांक 23.12.2025 द्वारा सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श हेतु पत्र प्रेषित की गयी।

कृ०पृ०उ०

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक–4034 दिनांक 08.01.2026 द्वारा कतिपय पृच्छा के आलोक में विभागीय पत्रांक–158 दिनांक 12.01.2026 द्वारा पृच्छा का निराकरण करते हुए पुनः श्री लाल के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक–4908 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री बिजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध **"उनके 10(दस) प्रतिशत पेंशन की राशि 05(पाँच) वर्षों के लिए अवरूद्ध करने"** संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की पूर्ण पीठ की वर्ष–2026 की 6वीं बैठक में सहमति प्रदान की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक श्री बिजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध **बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत "उनके 10(दस) प्रतिशत पेंशन की राशि 05(पाँच) वर्षों के लिए अवरूद्ध करने" का दंड"** संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स0)/उ0स्था0(आरोप)07/2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी/श्री बिजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सरकार के अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4908 दिनांक 09.03.2026 के प्रसंग में/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 2967   पटना, दिनांकः– 15/06/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.06.26

सरकार के उप सचिव

D:\Section-3 file\Vikash Sir\Vikash Sir.doc